

प्रेषक,

दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5**

**लखनऊ: दिनांक 19 नवम्बर, 2019**

**विषय: उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को विनियमितीकरण की तिथि से समस्त सेवा लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणों के कार्मिकों को तदर्थ नियुक्ति की तिथि से सेवा सम्बन्धी लाभ यथा समयमान-वेतनमान, ए0सी0पी0 इत्यादि का भुगतान किया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है। विनियमितीकरण की तिथि ही मौलिक नियुक्ति की तिथि अवधारित की जाती है। अतः किसी कार्मिक को कोई भी सेवा लाभ सामान्यतया विनियमितीकरण की तिथि से ही नियमानुसार देय होता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हुआ है कि :-

- (1) तदर्थ नियुक्ति की तिथि से प्राधिकरण स्तर से अनुमन्य किये गये त्रुटिपूर्ण सेवा लाभ यथा समयमान-वेतनमान, ए0सी0पी0 इत्यादि के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान के समायोजन/वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- (2) चूँकि विनियमितीकरण पूर्व प्रभावी तिथि से नहीं किया जाता है अतः प्राधिकरण कार्मिकों को विनियमितीकरण के आदेश जारी करने की तिथि से ही विनियमित मानते हुए समयमान-वेतनमान एवं वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) का लाभ अनुमन्य कराया जाय।
- (3) नियमों के विपरीत तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ए0सी0पी0 एवं समयमान-वेतनमान आदि का लाभ देने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर विलम्बतम 02 सप्ताह में अवगत कराया जाय।

भवदीय,  
दीपक कुमार  
प्रमुख सचिव।